झारखण्ड राज्य ... पत्र प्राप्त
- 5 JAN 2021
29
... 01/2021

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषयः— सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु–सीमा का निर्धारण।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक–609, दिनांक 25.01.2016 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गई है :–

				विकलांगों के लिए
(क)	(i)	अनारक्षित	– 35 वर्ष	– 40 वर्ष
	(ii)	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	– 37 वर्ष	– 42 वर्ष
	(iii)	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	– 38 वर्ष	– 43 वर्ष
	(iv)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	– 40 वर्ष	– 45 वर्ष
(ख)	भूतपूर्व सैनिको (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट।			

उक्त संकल्प दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2020 तक प्रभावी था।

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–34(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभांषा विभाग संकल्प संख्या–7636 दिनांक–12.10.2018 द्वारा राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अधिकतम उम्रसीमा में कोटिवार 10 (दस) वर्षों की छूट निम्नवत् प्रदान की गयी है:–

क्रं०	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु पूर्व में निर्धारित अधिकतम आयुसीमा को यथावत रखते हुए राज्य के सरकारी सेवाओं में नियोजन हेतु अधिकतम उम्रसीमा को निम्नवत निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

				विकलांगों के लिए
(क)	(i)	अनारक्षित	– 35 वर्ष	– 45 वर्ष
	(ii)	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	– 37 वर्ष	– 47 वर्ष
	(iii)	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	– 38 वर्ष	– 48 वर्ष
	(iv)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	– 40 वर्ष	– 50 वर्ष
	(v)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	– 35 वर्ष	– 45 वर्ष

(ख) भूतपूर्व सैनिको (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट।

सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा अगले पाँच वर्षों तक अर्थात दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2025 तक प्रभावी रहेगा। दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अधिकतम उम्रसीमा में कोटिवार 10 (दस) वर्षों की छूट यथावत रहेगी।

आदेशः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक–15/नीति नि०–07–04/2015 का०–29/राँची, दिनांक 04/01/2021

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–15/नीति नि०–07–04/2015 का०–29/राँची, दिनांक 04/01/2021

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।